



RAEBARELI POLICE



प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2026

साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली द्वारा ऑनलाइन ठगी के कुल 8,08,007/- (आठ लाख आठ हजार सात रुपये) की धनराशि वापस करायी गयी।

अवगत कराना है कि शिकायतकर्तागण 1.शिशिर श्रीवास्तव थाना को0 नगर रायबरेली धनराशि 6,21,656/- 2.शिवानी सिंह थाना लालगंज धनराशि 10,000/- 3.यशु थाना मिलएरिया धनराशि 5,000/- 4.पूनम शुक्ला थाना को0नगर धनराशि 3,141/- 5.नितिन कृष्णा थाना मिलएरिया धनराशि 2,988/- 6.कमलेश कुमार थाना गुरुबक्शगंज धनराशि 13,580/- 7.हरिकिशोर थाना सरेनी धनराशि 20,180/- 8.अशोक नारायण मिश्रा थाना बछरांवा धनराशि 37,000/- 9.संजू पाल थाना को0नगर धनराशि 28,599/- 10.अनमोल पुष्कर थाना गुरुबक्शगंज धनराशि 4,984/- 11.शैलेश कुमार थाना नसीराबाद धनराशि 10,000/- 12.प्राची थाना भदोखर धनराशि 25,000/- 13. आस्था सिंह थाना मिलएरिया धनराशि 880/- 14.मो0 नफीस खान थाना को0नगर धनराशि 7,000/- 15. अभिषेक खरे थाना लालगंज धनराशि 3,000/- 16.अजय कुमार मौर्या थाना डीह धनराशि 14,999/- के साथ आनलाइन साइबर ठगी हुई थी। जिसके बाद पीड़ित ने 1930 पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी थी। पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री रवि कुमार द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। साइबर क्राइम पुलिस थाना रायबरेली द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संदिग्ध बैंक खाते को सीज कराते हुए शिकायतकर्ताओं के 8,08,007 (आठ लाख आठ हजार सात) रुपये की धनराशि बापस करायी गयी।

बरामद करने वाली टीम -

प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह तोमर मय साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम।



रायबरेली पुलिस द्वारा आमजनमानस से अपील की जाती है कि अपने खाते से संबंधित या अन्य ओटीपी / पासवर्ड आदि व्यक्तिगत / गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा लुभावने ऑफर आदि को बिना जांचे परखे किसी लिंक या एप्लीकेशन पर भुगतान न करें। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका हो सकता है। आप स्वयं जागरुक रहे तथा अपने आस-पास के अधिक से अधिक लोगो में यह जानकारी साझा करें।

मीडिया सेल रायबरेली